राज्य में एक नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी : किसानों से 125 से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान

- आगामी खरीफ सीजन में किसानों से बायोमेट्रिक व्यवस्था से होगी धान की खरीदी
- केंद्रीय पूल में जमा चावल के विरुद्ध राज्य सरकार की केंद्र सरकार से लेनदारी की राशि 6400 करोड़ रुपए देने पत्र लिखकर किया जाएगा आग्रह
- धान खरीदी के लिए बारदाने सहित सभी आवश्यक व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

रायपुर । खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आगामी खरीफ विपणन वर्ष की धान खरीदी एवं कस्टम मीलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा की अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया। पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी 01 नवंबर 2023 से धान खरीदी बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत शुरू होगी और 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसी तरह मक्का खरीदी भी 01 नवंबर 2023 से ही शुरू होगी और 28 फरवरी 2024 तक चलेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष में किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार द्वारा औसत अच्छी किस्म (एफएक्यू) के धान एवं मक्का के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। धान कामन के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य 2183 रूपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2203 रूपए प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी की जाएगी। इसी तरह मक्का प्रति क्विंटल 2090 रूपए के भाव से खरीदी की जाएगी।

मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक में केंद्र सरकार से राज्य की लेनदारी के अंतर्गत केंद्र सरकार की एजेन्सी के रूप में केन्द्रीयकृत एवं विकेन्द्रीकृत योजनांतर्गत भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा किया जाता है। आज की स्थिति में जमा चावल के विरूद्ध भारतीय खाद्य निगम से 2205.30 करोड़ एवं नागरिक आपूर्ति निगम की केंद्र सरकार से 4195 करोड़ रूपए सहित कुल राशि 6400.30 करोड़ रूपए लेनदारी केंद्र सरकार से शेष है। जिसमें पत्र लिखकर लेनदारी की राशि के लिए अनुग्रह करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश में आगामी खरीफ वर्ष 2023-24 में बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। अभी तक प्रदेश के लगभग 05 लाख किसानों के पंजीयन का कार्य पूर्ण हो चुका है। बायोमेट्रिक धान खरीदी व्यवस्था के संबंध में किसानों को जानकारी देने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए है। बैनर और पोस्टर समिति स्तर पर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कृषि एवं सहकारिता से संबंधित संगठनों की बैठक लेकर किसान पंजीयन की जानकारी देने के निर्देश दिए गए है।

मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक में प्रदेश में किसानों के धान विक्रय में सहुलियत को ध्यान में रखते हुए उपार्जनों केन्द्रों की संख्या लगातार वृद्धि की जा रही है। किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष और भी कुछ धान उपार्जन केंद्र खुलेंगे। वर्तमान में 2617 धान उपार्जन केंद्र संचालित है। विगत वर्ष राज्य के 24.96 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया था, जिसका रकबा 32.15 है।

राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और फैसलों के चलते गत वर्ष लगभग ढाई लाख नवीन किसानों ने पंजीयन करवाया था और किसानों से रिकॉर्ड 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस वर्ष भी किसानों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित की लक्ष्य के मद्देनजर बारदाने एवं खरीदी व्यवस्था दुरूस्त किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष धान खरीदी के लिए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। साथ ही ऑनलाईन एवं ऑफलाईन टोकन व्यवस्था के चलते सफलतापूर्वक धान खरीदी हुई थी। इस वर्ष भी धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य के अनुसार लगभग साढ़े सात लाख गठान जूट बारदाने की आवश्यकता होगी। इसमें 4.03 लाख नए और 3.43 लाख गठान पुराने बारदाने की जरूरत पड़ेगी। बारदाने की व्यवस्था के लिए खाद्य विभाग द्वारा पहले से ही तैयारी की जा रही है।

बैठक में अधिकारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि अनुमानित धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों में धान खरीदी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसमें किसानों के पंजीयन से लेकर बारदाने की व्यवस्था, खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं, भुगतान की व्यवस्था आदि का संधारण कार्य किया जा रहा है।

बैठक में खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, प्रबंध संचालक मार्कफेड मनोज कुमार सोनी, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के.एन. काण्डे, कृषि विभाग के संयुक्त सचिव के.सी. पैकरा सहित अन्य संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

महत्वपूर्ण एवं खास

आईटीआई कोर्स हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । राज्य सरकार के 194 शासकीय आईटीआई केंद्रों के शेष रिक्त सीटों के सत्र 2023-24 एवं 2023-25 में प्रवेश के इच्छुक अभ्यार्थियों से 10 सितम्बर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में किन्हीं कारणों से ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे अथवा जिनका पूर्व में ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रवेश का अवसर समाप्त हो चुका हो, ऐसे अभ्यर्थी 10 सितम्बर तक दोबारा ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए आवेदनों एवं पूर्व में रजिस्टर्ड आवेदनों में से शेष आवेदकों के संयुक्त मेरिट सूची से प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट सीजीआईटीआई डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है।

नेशनल लोक अदालत में 7298 प्रकरण हुए निराकृत

सारंगढ़ बिलाईगढ़। नेशनल लोक अदालत अंतर्गत जिले के राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिसमें कुल 7298 निराकृत हुए। इन प्रकरणों में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के 27, वारिसों के मध्य बंटवारे के मामले में 3, विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण के 162, अन्य प्रकृति मामले के 749, दान पत्र के आधार पर नामांतरण के मामले 3, वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले के 1, दांडिक प्रकरण के 49, जाति प्रमाण पत्र के 2106, आय प्रमाण पत्र के 1143, निवास प्रमाण पत्र के 2842, जन्म प्रमाण पत्र के 72, मृत्यु प्रमाण पत्र के 34, फौती नामांतरण के 46, बी121 के 36, निजी भूमि पर कब्जा के 1, अपील के 1, अन्य के 23 प्रकरण शामिल है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश भादुड़ी लोक अदालत का करेंगे निरीक्षण

बिलासपुर (आरएनएस)। उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश गौतम भादुड़ी 9 सितम्बर को प्रात: 11.15 बजे जिला न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे जिला कोर्ट में मीडिया से चर्चा भी करेंगे।

ग्रामीण अंचल के बाजारों में पसरा शुल्क हुआ समाप्त, मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा

रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण अंचल के बाजारों में पसरा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की गई है। उक्त घोषणा के फलस्वरूप कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने समस्त जनपद पंचायत सीईओ को पसरा शुल्क की वसूली न किए जाने के संबंध में निर्देशित किया है। चूंकि जनसामान्य, ग्राम पंचायत सचिवों एवं पदाधिकारियों में संपूर्ण बाजार फीस माफ कर दिए जाने जैसी अफवाहें फैली हुयी है, जो भ्रामक है। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि पसरा शुल्क माफ किया गया है, लेकिन बाजार शुल्क की शत-प्रतिशत वसूली की जानी है। जिसके संबंध में बाजार फीस की प्रभावी दरें लागू की गई है। जिसमें प्रति वर्ग मीटर या उसके किसी भाग के स्थान के लिए न्यूनतम 30 पैसे प्रतिदिन या 8 रुपये प्रतिमास अथवा अधिकतम 50 पैसे प्रतिदिन या 14 रुपये प्रतिमास की दर प्रभावी है।

सेजेस महापल्ली में हुआ विविध कार्यक्रमों का आयोजन

रायगढ़। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत संचालित शासकीय हेमसुंदर गुप्ता उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय महापल्ली में विद्यालय के प्राचार्या जे.सुजाता राव के मार्गदर्शन में आज राज्य कार्यालय के निर्देश पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें किरण मिश्रा व्याख्याता के निर्देशन में वर्तमान में चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा अंतर्गत डॉक्टर सुभाष झा आयुष विभाग महापल्ली के द्वारा हस्त प्रक्षालन कर विद्यार्थियों को स्वच्छता के बारे में संदेश दिए एवं भोजन करने से पहले व किसी भी दैनिक कार्य को करने के बाद अपने हाथों को किस प्रकार साफ करना चाहिए और स्वस्थ रहने हेतु स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है इस बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही हाथ धोने के तरीके को प्रयोग कराकर बच्चों को सिखाया गया सभी बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोकर खाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही विद्यालय में साक्षरता अभियान अंतर्गत सुश्री विनीता श्रीवास्तव व्याख्याता के निर्देशन में साक्षरता अभियान अंतर्गत साक्षर भारत और साक्षरता के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु साक्षरता प्रतीक चिन्ह बनाकर उल्लास कार्यक्रम हेतु जागृत किया गया।

पूरे कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी रवि कंवर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों व विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का सहयोग रहा साथ ही विद्यालय में रेडक्रॉस इकाई के तत्वाधान में स्वास्थ्य परीक्षण भी आयुष विभाग महापल्ली के द्वारा किया गया जिसमें डॉक्टर सुभाष झा उनकी पूरी टीम ने विद्यालय में उपस्थित रहकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिन बच्चों के परीक्षण के दौरान कोई कमी पाई गई उन बच्चों को उचित स्वास्थ्य सलाह दी गई।

निशुल्क ब्लड की बिक्री मामले में ब्लड बैंक के सुपरवाइजर और लैब टेक्नीशियन गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी के एक ब्लड बैंक के दो कर्मचारियों को निशुल्क ब्लड की बिक्री कर हजारों रूपए का गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला 2020 का है जिसकी जांच उपरांत शनिवार को आरोपियों की गिरफ्तारी की गई।

मिली जानकारी के अनुसार इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा रायपुर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रूपल पुरोहित ने थाना गोलबाजार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि जयंत नहाटा प्रशिक्षु सहायक कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में जांच समिति की जांच में भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी के डीकेएस अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में माह मार्च अप्रैल 2020 में ब्लड बैंक इंचार्ज डॉ व्ही. बघेल के द्वारा निशुल्क ब्लड दिए जाने के आदेश के उपरांत ब्लड बैंक सूप्रवाइजर व लब टेक्नीशियन आसिफ इकबाल खान व मनोज टंडन आरसी ब्लड बैंक, न्यू राजेंद्र नगर रायपुर को 105 यूनिट ब्लड का 47,250 रुपए राशि का भुगतान प्राप्त करने उपरांत इसकी रसीद ब्लड बैंक को न देना और न ही उक्त राशि ब्लड बैंक के खाते में डाले जाने का जांच में प्रमाण पाए जाने की प्रस्तुत शिकायत की जांच पर आरोपीगण के विरुद्ध थाना गोलबाजार में धारा 408, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना गोलबाजार पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी तथा अन्य गवाहों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करतें हुए आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। प्रकरण में संलिप्त आरोपियों ठिकानों पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस ने आसिफ इकबाल खान पिता मामून रसीद खान उम्र 41 साल पता मकान नंबर केबीटी-152, गुरुनानक चौक कबीरनगर तथा मनोज टंडन पिता स्व. अंजोरी दास टंडन उम्र 35 साल पता आदर्शनगर, सतनामी पारा, सतनाम भवन के बाजू, संगीता वर्मा के मकान पंडरी को गिरफ्तार किया है।

पीएससी में सफलता पर सारिका मित्तल और उनके परिजनों को डीआईजी रामगोपाल गर्ग ने दी बधाई

रायगढ़ । सीजी पीएससी में टॉप करने वाली रायगढ़ की सारिका मित्तल को आज दिनांक 09.09.2023 को रायगढ़ रेंज के डीआईजी राम गोपाल गर्ग द्वारा उसकी सफलता पर सारिका और उनके परिवारजनों से भेंट कर शुभकामनाएं दिया गया। हाल ही में मित्तल परिवार को एक साथ दो अच्छी खबरें मिली- सारिका ने सीजी पीएससी के अपने दूसरे की ही प्रयास में फ़र्स्ट रैंक हासिल की वहीं उनके बडे संदीप मित्तल जो वर्तमान में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुनकुरी, जिला जशपुर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें भी कल दिनांक 08.09.2023 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त हुई है। संदीप मित्तल भी आज अपने निवास स्थान वृंदावन कालोनी, रायगढ़ आये हुये थे। डीआईजी रायगढ़ रेंज रामगोपाल गर्ग द्वारा सरिका और संदीप मित्तल को शुभकामनाएं देते हुये उनके माता-पिता और परिवारजनों को बधाई दिया गया है।

एसडीएम डॉ तिवारी ने ली निर्वाचन के संबंध में बीएलओ और सुपरवाइजरों की बैठक

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देशन में एसडीएम बिलाईगढ़ डॉ स्निग्धा तिवारी ने बिलाईगढ़ में बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों की बैठक ली।

निर्वाचन के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की इस बैठक में एसडीएम डॉ तिवारी ने कहा कि सभी ऐसे मतदान केंद्र जहां फार्म 6 अंतर्गत मतदाता जोड़ने में 4 प्रतिशत से कम और फार्म 7 अंतर्गत मतदाता सूची से नाम हटाने में 2 प्रतिशत से कम कार्य हुआ है, उन केंद्रों का सत्यापन सभी ऑफलाइन फॉर्म को ऑनलाइन करें। साथ ही साथ मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन भी करें। एसडीएम डॉ तिवारी ने कहा कि सभी घर घर जाकर सर्व करें और दिव्यांग तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की सूची तैयार करें। इस अवसर पर तहसीलदार भी उपस्थित थे।

दिव्यांगों और वरिष्ठजनों को दी गई मतदान मशीन की जानकारी

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के संयुक्त मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम छिंद में दिव्यांगों एवं वरिष्ठ जनों को वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपीएटी के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही विभागीय योजनाओं के संबंध में बताया कि निराश्रितों की पेंशन राशि राज्य सरकार ने बढ़ा दी है, अब प्रतिमाह 350 रुपए के स्थान पर 500 रुपए निराश्रित पेंशन राशि की गई है। इस अवसर पर नागरिकों से मतदाता शपथ भी लिया गया।

अपर कलेक्टर ने की मतदान केन्द्रों का निरीक्षण

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देशन में अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने जिले के सारंगढ़ विकासखण्ड के 13 मतदान क्रेन्द्रों में जाकर भारत निर्वाचन आयोग के गाइड लाइन के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्रवाई का निरीक्षण किया। तिवारी ने सिंघनपुर, पासीद, मल्दा, कोसीर, भाठागांव, लेन्ध्रा, मुड़पार बड़े में स्थित विभिन्न मतदान केन्द्रों में निर्वाचन नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्रवाई का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पर उपस्थित बीएलओ, अभिहित अधिकारियों से द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली। साथ ही नए मतदाता को जोड़ने के लिए प्रेरित करने कहा। निरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मतदान केंद्रों में शौचालय, रैम्प, बिजली, पंखा, शेड एवं पेयजल की व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस अवसर पर तहसीलदार नेत्रप्रभा सिदार उपस्थित थीं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480